राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 18/2026 प्रा0पत्र

अनवान

ासी पत्नि स्व. मिठु सिंह जाति रावत निवासी बली, जस्साखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
..... प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।
.....अप्रार्थी

उपस्थिति :—

01. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री सुमित्रा चौहान एवं भगवान सिंह चौहान
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः— 16/4/26

1. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया के स्व. पति मिठु सिंह पुत्र पन्ना सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू. राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 100/2022 है मुझ प्रार्थीया के पति मिठु सिंह जी का दिनांक 23.02.2023 को देहान्त हो जाने के संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र पुनः मुझ प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत है। उक्त प्रकरण जो कि नाम शुद्धि हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रार्थी के पति के द्वारा अन्य सभी काश्तकारों को अप्रार्थी बनाया गया था जिससे वाद बहुत ही ज्यादा लम्बित हो रहा था जिसका मुझ प्रार्थीया के अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 29.01.2026 को प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. पुनः प्रार्थना पत्र अनुमति पेश करने की अनुमति चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके कम में उक्त प्रार्थना पत्र पुनः संशोधित रूप में पेश है। प्रार्थीया की मौजा बली पटवार हल्का बली तहसील भीम जिला राजसमंद में निम्न अग्र वर्णित कृषि भूमि आई हुई है —

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा है0 में	किस्म
666	3438	0.0647 है0	किस्म चाही 01 0.0518, जाव 1 0.0129
कुल खसरे 01 रकबा 0.0647 है0 भूमि में मुझ प्रार्थीया के पति का 1/2 हिस्सा दर्ज है।			

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा है0 में	किस्म
931	3409	0.0040	चाही 1
कुल खसरे 01 रकबा 0.0040 है0 भूमि में मुझ प्रार्थीया के पति का 1/11 हिस्सा दर्ज है।			

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा है0 में	किस्म
851	3812	1.4326	बंझड़
कुल खसरे 01 रकबा 1.4326 है0 भूमि में मुझ प्रार्थीया के पति का 1/16 हिस्सा दर्ज है।			

Scanned with OKEN Scanner

ंख्या	खसरा संख्या	रकबा है0 में	किस्म
	3389	0.0486	बंझड़
	3401	0.0243	बारानी 1
	3404	0.0405	चाही 1
	3414	0.0486	बारानी 1

ल खसरे 04 रकबा 0.1620 है0 भूमि में मुझ प्रार्थीया के पति का 1/36 हिस्सा दर्ज है।

संख्या	खसरा संख्या	रकबा है0 में	किस्म
	3804	0.0202	बारानी 1
	3805	0.0243	बारानी 1
	3806	0.0162	बारानी 1

कुल खसरे 03 रकबा 0.0607 है0 भूमि में मुझ प्रार्थीया के पति का 1/20 हिस्सा दर्ज है।

ता संख्या	खसरा संख्या	रकबा है0 में	किस्म
5	3798	1.1655	बंझड़

कुल खसरे 01 रकबा 1.1655 है0 भूमि में मुझ प्रार्थीया के ससुर जी का 1/16 हिस्सा दर्ज है।

ह कि उक्त ऊपर कॉलम संख्या 03 में अंकित भूमि जो कि मुझ प्रार्थीया के पति को तथा को ारिये विरासत से मेरे पति के पिता का देहान्त होने के बाद विरासत के तौर पर मेरे पति के ाम पर हिस्सा दर्ज होकर मालिकाना आधिपत्य है। यह कि प्रार्थीया के ससुर स्व. पन्ना सिंह ुत्र स्व. मकन सिंह के नाम उक्त आराजियात विरासत से नामान्तकरण मेरे पति के हक में खुलने के पूर्व में इनके (मेरे ससुर जी) हक हिस्से में थी तथा दिनांक 08.02.1980 को मेरे ससुर जी स्व. पन्ना सिंह पुत्र स्व. मकन सिंह का देहान्त हो चुका है। पन्ना सिंह पुत्र स्व. मकन सिंह का देहान्त हो चुका है। यह कि उक्त वर्णित आराजियात जब ऑनलाईन जमाबंदी में विरासत का नामान्तकरण खोलते समय कम्प्यूटर फिडिंग करते समय मेरे पति का नाम मूलसिंह पुत्र पन्नासिंह तथा मूला पुत्र पन्ना नाम दर्ज कर दिया गया जो कि गलत नाम है जबकि मेरे पति का वास्तविक सही नाम मिठु सिंह पुत्र पन्ना सिंह है, मेरे पति के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, इत्यादि दस्तावेजों में नाम मिठु सिंह पुत्र पन्ना सिंह है जो कि सही नाम है। यह कि मेरे पति का वास्तविक सही नाम मिठु सिंह के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से मूलसिंह पुत्र पन्नासिंह तथा मूला पुत्र पन्ना का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम इन्द्राज कर दिया गया है जो कि त्रुटि पूर्वक दर्ज होकर निरन्तर चला आ रहा है। यह कि वाद पत्र के उक्त वर्णित कालॅम संख्या 03 में वर्णित आराजियात के अतिरिक्त मुझ प्रार्थीया के पति के अन्य भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही नाम दर्ज होकर मिठु सिंह पुत्र पन्ना सिंह नाम दर्ज हो रखा है मात्र उक्त आराजियात में मूलसिह पुत्र पन्नासिंह तथा मूला पुत्र पन्ना का नाम दर्ज हो रखा है उसे शुद्धि करवाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। यह कि उक्त कॉलम संख्या 03 मे दर्ज समस्त आराजियात कि भूमि में हरि पुत्र पन्ना नाम दर्ज है हरि पुत्र पन्ना जो कि मेरे पति के इकलौते भाई है और हरि पुत्र पन्ना का बचपन अवस्था में अविवाहित होकर ला औलाद फौत हो चुके है जिनके विधिक वारिसान मैं तथा मेरे पति के सभी वारिसान है उक्त हरि पुत्र पन्ना के नाम से दर्ज आराजियात कि भूमि का भी नामान्तकरण खोलने का राजस्व कर्मचारी को आदेश प्रदान करें।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कलम संख्या 03 में दर्ज भूमि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में दर्ज खातेदार मूल सिंह पुत्र पन्ना सिंह एवं मूला पुत्र पन्ना के

Scanned with OKEN Scanner

दुरूस्त कर मिठु सिंह पुत्र पन्ना सिंह नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा वें।

कि प्रार्थीया द्वारा स्वयं का आधार कार्ड, प्रार्थीया के पति के राशन कार्ड, आधार कार्ड, चन आयोग पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी की प्रतिलिपि वगै0 में सभी जगह िया के पति का नाम मिठु सिंह पुत्र पन्ना सिंह किन्तु प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 में मिठु पुत्र पन्ना सिंह है जो भूलवश प्रार्थना पत्र कलम संख्या 03 में दर्ज भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदार मूल सिंह पुत्र पन्ना सिंह एवं मूला पुत्र पन्ना दर्ज कर दिया है ा मिठु सिंह पुत्र पन्ना सिंह किया जाना आवश्यक है वरना उसे भारी हानि होगी जिसकी अर्थ में सम्भव नही अतः श्रीमान से निवेदन है कि श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर दन है कि कलम संख्या 03 में दर्ज भूमि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में दर्ज खातेदार मूल पुत्र पन्ना सिंह एवं मूला पुत्र पन्ना के नाम दुरूस्त कर मिठु सिंह पुत्र पन्ना सिंह नाम दर्ज ने का आदेश प्रदान कराया जावे एवं तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा ं खर्चा मुकदमा एवं अन्य कोई दाद जो न्यायालय उचित समझे प्रदान कराई जावें। प्रार्थीया ा साक्ष्य में स्वयं का आधार कार्ड, प्रार्थीया के पति के राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन ोग पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र (हरि सिंह पिता पन्ना सिंह, पन्ना सिंह पिता मकन सिंह मिठू सिंह पिता पन्ना सिंह) जमाबंदी की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया।

ीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी या गया। अप्रार्थी तहसीलदार भीम, पटवारी हल्का बली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वार हल्का बली, भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र कुकड़ा के अनुसार ग्राम बली के खाता संख्या 535, 2, 666, 851, 931, 933 में खातेदार मूलसिंह पिता पन्ना सिंह रावत के बजाय मिठूसिंह पिता ा सिंह रावत दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम खातेदार मूल ह पुत्र पन्ना सिंह एवं मूला पुत्र पन्ना दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड, ार कार्ड, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी की प्रतिलिपि में इनका न मिठु सिंह पुत्र पन्ना सिंह है जो सही है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया वे तो कोई आपत्ति नही है। हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के ाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि में ं खातेदार मूल सिंह पुत्र पन्ना सिंह एवं मूला पुत्र पन्ना के नाम दुरूस्त कर मिठु सिंह पुत्र ना सिंह नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का र्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/4/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
भीम

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

क्रमांकः– कोर्ट/2026/270 दिनांकः– 16/04/26

प्रेषितिः–

तहसीलदार
भीम

विषयः– निर्णय अनुसार पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 18/2026 प्रा०प०त्र अनवान पताणी W/o स्व. मिठु सिंह निवासी वलीजनाखेड़ा बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निवासी भीम में निर्णय दिनांक 16/4/2026 हो चुका है। निर्णय की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। निर्णय अनुसार पालना की जाकर पालना से नियत दिनांक 1 माह से पूर्व अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भीम, जिला राजसमंद

उपखण्ड अधिकारी
भीम, जिला-राजसमन्द (राज.)